न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

अपील / 06 / 2025

जगन्नाथ प्रसाद पुत्र कप्तान सिंह जाति जाट निवासी धौरमुई तहसील व जिला भरतपुर

....अपीलार्थी

बनाम

1—कप्तान सिंह पुत्र श्री खुन्टीसिंह
2—श्रीमती भगवती देवी पत्नी कप्तान सिंह
3—राहुल सिंह पुत्र कप्तानसिंह
} जाति जाट निवासी धौरमुई हाल निवासी गणेशपुरम मथुरा रोड के पास भरतपुर

4—सुभाष चन्द पुत्र श्री कप्तानसिंह जाति जाट निवासी धौरमुई हाल निवास जैन मंदिर के सामने रुद्धनगर भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता—पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण—पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 व खिलाफ निर्णय दिनांक 17.7.2025 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, ।

उपस्थित :—

1—श्री सोनीराम शर्मा अभिभाषक अपीलार्थी
2—श्री देवीप्रसाद शर्मा, अभिभाषक रेस्पो. सं. 1,2
3—श्री विनोद कुमार सूरोता अभिभाषक रेस्पो. 4

निर्णय   **दिनांक 18.3.2026**

अपीलार्थीया ने यह अपील विरुद्व रेस्पो. व खिलाफ निर्णय दिनांक 17.7.2025 उपखण्ड अधिकारी भरतपुर इस आश्य की पेश की गई है जो संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश गलत तथ्यों के आधार पर पारित किया गया है। अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट ने कभी भी अपने माता पिता को तंग परेशान नहीं किया है। अपीलान्ट अपने पैत्रिक मकान ग्रांम धौरमुई में रहता है तथा अपीलान्ट के पास गुजरवसर के लिये केवल 4 वीघा जमीन है जिससे मात्र पचास हजार रुपये की सालाना आमदनी होती है। इसके अलावा महनत मजदूरी करके अपीलान्ट अपनी गुजर कर रहा है। सन 2025 तक अपीलान्ट के माता पिता रेस्पो संख्या 1, 2 व अपीलान्ट के साथ ग्रांम धौरमुई में ही रहते थे जिनके भरण पोषण, दवा, कपडा आदि का खर्चा अपीलान्ट स्वयं स्वेच्छा से करता रहा है। माता पिता को भी अपीलान्ट से कभी कोई शिकायत नहीं थी।

.......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

मगर माह अप्रेल 2025 में रेस्पो संख्या 3 राहुल सिंह साजिस कर माता पिता को अपीलान्ट की गैर हाजरी में जबरदस्ती अपने साथ भरतपुर लेकर आ गया और आज भी माता पिता राहुल के साथ ही रहते हैं। जब अपीलान्ट भरतपुर राहुल रेस्पो. के घर माता पिता से मिलने पहुंचा तो राहुल ने उनसे मिलने नहीं दिया गया, रेस्पो राहुल ने माता पिता को एक तरह से बन्धक बना रखा है उनसे मिलने नहीं देता है। आज भी अपीलान्ट माता पिता को अपने साथ रखने को तैयार है और उनकी सेवा सुश्रसा करने को तैयार है परन्तु राहुल ऐसा नहीं करने देता है। अपीलान्ट की बहिनों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जब रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अपनी पुत्रियों को भी 15 ऐयर रकवा का दान पत्र किया गया है। तहत न्यायालय ने विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अस्तु अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं रेस्पो संख्या 1 व 2 को अपीलान्ट के साथ ग्रांम धौरमुई में रहने के लिये उनकी इच्छा अनुसार भेजे जाने की आज्ञा दिये जाने का निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. एवं पत्रावली तहत तलब की गई। रेस्पो. 1, 2 की ओर से अभिभाषक श्री देवी प्रसाद शर्मा एवं रेस्पो. 4 की ओर से एड. विनोद कुमार सूरोता का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील मे अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट ने माता पिता की सेवा करने को कभी मना नहीं किया गया है, माह अप्रेल 2025 तक अपीलान्ट के माता पिता रेस्पो. संख्या 1, 2 व अपीलान्ट के साथ ग्रांम धौरमुई में ही रहते थे जिनके भरण पोषण दवा, कपडा आदि का खर्चा अपीलान्ट स्वयं स्वेच्छा से करता रहा है। माता पिता को भी अपीलान्ट से कभी कोई शिकायत नहीं थी। मगर अप्रेल माह सन् 2025 में रेस्पो संख्या 3 राहुलसिंह साजिस कर माता पिता को अपीलान्ट की गैर हाजरी में जबरदस्ती अपने साथ भरतपुर लेकर आ गया और आज भी माता पिता राहुल के साथ ही रहते हैं। योग्य अभिभाषक ने बताया कि जब अपीलान्ट भरतपुर राहुल रेस्पो. के घर माता पिता से मिलने पहुंचा तो राहुल ने उनसे मिलने नहीं दिया गया, रेस्पो. राहुल ने माता पिता को एक तरह से बन्धक बना रखा है उनसे मिलने नहीं देता है। आज भी अपीलान्ट माता पिता को अपने साथ रखने को तैयार है और उनकी सेवा सुश्रसा करने को तैयार है परन्तु राहुल ऐसा नहीं करने देता है। अपीलान्ट की बहिनों को पक्षकार नहीं बनाया गया है जब रेस्पो. संख्या 1 व 2 ने अपनी पुत्रियों को भी 15 ऐयर रकवा जमीन का दान पत्र किया गया है। तहत न्यायालय ने विधि विरुद्ध अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अस्तु अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे एवं रेस्पो संख्या 1 व 2 को

..........................3

जिला कलक्टर
भरतपुर

अपीलान्ट के साथ ग्राम धौरमुई में रहने के लिये उनकी इच्छा अनुसार भेजा जाने की आज्ञा दिये जाने का निवेदन किया गया है।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अपीलान्ट ने अपनी अपील में सारे झूठे कथन किये हैं। तहत न्यायालय ने विधिसम्मत अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपीलान्ट ने माता पिता के अनपढ होने का फायदा उठाकर अपने नाम जमीन करा ली है और माता पिता द्वारा गांव में बनाये गये मकान पर भी अपीलान्ट ने कब्जा कर लिया है। अपीलान्ट ने कुछ जमीन बेचकर गणेशपुरम कॉलोनी भरतपुर में प्लाट खरीद लिया है और उसको अपनी पत्नी के नाम करा लिया है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का कहना है कि अपीलान्ट माता पिता को अपने पास रखने को मना करते हैं। माता पिता अपनी पुत्रीयों के निवास पर या भाई बन्धु के निवास पर रहते हैं। अपीलान्ट ने कभी पहले भी सेवा नही की और आगे भी अपने साथ रखने को मना कर देता है। तहत न्यायालय ने माता पिता की परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुये अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2025 का अध्ययन किया गया। उपखण्ड अधिकारी भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.7.2025 विधिवत विस्तृत है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली वापिस उपखण्ड अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर,
भरतपुर